

उत्तर-प्रदेश शासन द्वारा प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति की मान्यता की सत्य प्रतिलिपि

आयुर्वेद एवं यूनानी सेवा निदेशक, लखनऊ

सेवा में,

1- समस्त प्रधानाचार्य राज. आयु का उ.प्र।

2- समस्त क्षेत्र आयु ए.च. उ. प्र।

संख्या:- 7145/2213-76,

दिनांक 2-7-0

विषय:- प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति को मान्यता।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आपके पास शासनदेश 7407 सं. 9/पांच 445/73 दिनांक 19/12/79 को प्रतिलिपि प्रस्तुत करते हुए निवेदन यह है कि शासन ने उपर्युक्त शासनादेश द्वारा प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति को जो भारतीय चिकित्सा पद्धति, आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली के अन्तर्गत चिकित्सा पद्धति को मान्यता प्रदान कर दिया है।

भवदीय

ह0 /

(दयाशंकर वाजपेयी

उप निदेशक

कृते निदेशक आयुर्वेद उ.प्र.

संख्या 7407 से 9/पांच 445/73

प्रेषक,

श्री सुरेन्द्र नाथ गुप्ता,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

आयुर्वेद निदेशक

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-9

लखनऊ दिनांक 19 दिसम्बर 1979

विषय:- प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति की मान्यता।

महोदय,,

उपर्युक्त विषय आपके पत्र संख्या 345/सामान्य दिनांक 04/10/1979 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि अखिल भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा परिषद नई दिल्ली ने प्राकृतिक चिकित्सा का महत्व बताते हुए शासन ने यह अनुरोध किया था कि इस चिकित्सा पद्धति को मान्यता प्रदान दी जाये। शासन ने इस प्रस्ताव पर विचार करने से पूर्व वर्ष 1979 में एक समिति का गठन किया था जिसकी संस्तुतियां शासन के प्राप्त हुई। उपरोक्त समिति की संस्तुतियों पर विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय ने यह आदेश प्रदान करने की कृपा की है कि भारतीय चिकित्सा पद्धति, आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली, के अन्तर्गत प्राकृतिक चिकित्सा को मान्यता प्रदान कर दी जाये।

भवदीय,

(सुरेन्द्र नाथ गुप्ता)

विशेष सचिव

...

...

PETITIONER

...

...

OPP. PARTIES

ANNEXURE NO.

तार : हिन्दमेड

दूरभाष संख्या : -
5610978 : सचिव
5599464 : कार्यालय

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद
इन्स्टीट्यूशनल एरिया,
नई दिल्ली- 110058

मिसिल संख्या : - 7-40/98- विज्ञापन

दिनांक :- 06.04.2000

सेवा में,

निदेशक
केन्द्रीय योग एवं अनुसन्धान परिषद,
61-65, इन्स्टीट्यूशनल एरिया,
जनकपुरी, नई दिल्ली - 110058

विषय :- प्राकृतिक चिकित्सकों के निबन्धन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर इस कार्यालय को प्रेषित आपके पत्रांक 9-23/96-9/97/ वाई. एन./योग/294 दिनांक 21.12.1999 के सन्दर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि अयोग्य एवं अपंजीकृत चिकित्साभ्यासियों के सम्बन्ध में इस परिषद द्वारा प्रकाशित विज्ञापन से योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा के चिकित्साभ्यासी किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होते हैं। प्रश्नगत विज्ञापन द्वारा जनसाधारण को अयोग्य एवं अपंजीकृत चिकित्साभ्यासियों के प्रति सावधान किया गया है।

फिर भी इस परिषद द्वारा भविष्य में प्रकाशित किये जाने वाले विज्ञापनों में इस बात को ध्यान में रखा जायेगा ताकि अन्य पद्धतियों के चिकित्साभ्यासी प्रभावित न हों।

भवदीय

हस्ताक्षर अस्पष्ट

ह0 विनय कुमार मिश्र
सहायक सचिव (रजि0)
कृते सचिव

महत्वपूर्ण आदेश

भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, (अनुसन्धान शाखा)
निर्माण भवन, नई दिल्ली
सरकार ने प्राकृतिक चिकित्सा को मान्यता की श्रेणी में रखा अन्य वैकल्पिक
चिकित्सा पद्धतियों को अमान्य किया

संख्या— आर 14015/25/96 – यू0 एण्ड एच (आर) (Pt)

दिनांक 25 नवम्बर 2003

आदेश

वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति (अल्टरनेटिव) की विभिन्न शाखाओं जिनमें इलेक्ट्रोपैथी/इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता का मामला सरकार के विचाराधीन रहा। इस प्रक्रिया में सरकार ने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय की एक न्याय याचिका संख्या 14015/96 एवं ओ0 एम0 नं0 8468/97 के दिनांक 18-11-98 के आदेश पर विचार किया जिसने केन्द्र/राज्य सरकार को विचार कर स्थायी और नवीन संस्थाओं को लाइसेन्स आदि देने का कानून निर्माण करने का निर्देश दिया था, जिसमें अमान्य वैकल्पिक (अल्टरनेटिव) चिकित्सा पद्धतियों का विनियमन एवं नियंत्रण हो सके तथा सूचना प्रसारण के माध्यम से आम जनता को पर्याप्त जानकारी प्रतिवादियों के विषय में वैसी है। अन्य संस्थाएँ जो सरकार और अन्य किसी परिषद से मान्यता प्राप्त नहीं है, हो सके।

सरकार ने महानिदेशक, भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति बनायी जिसके सदस्य चिकित्सा विभाग के विभिन्न क्षेत्रों से लिये गये जो सरकार को अपने विचार और संस्तुति वैकल्पिक (अल्टरनेटिव) चिकित्सा पद्धति की विभिन्न शाखाओं की क्षमता/श्रेष्ठता तथा माननीय न्यायालय द्वारा निर्देशित नियमों के बनाने की साध्यता का परीक्षण करके देती है।

समिति ने चिकित्सा की नवीन शाखा की मान्यता प्रदान करने के लिए आवश्यक एवं वांछनीय सिद्धान्तों की प्रगति तथा वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति की विभिन्न शाखाओं जैसे आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी, होम्योपैथी, योग और प्राकृतिक (नेचुरोपैथी) इलेक्ट्रोपैथी/इलेक्ट्रो होम्योपैथी, एक्यूपंचर, मैग्नेटोपैथी, रेकी, रिफ्लेक्सोलॉजी, युरिनथैरेपी/आटोटिनथैरेपी, हिप्लोथैरेपी, एरोथैरेपी, कलर थैरेपी, प्रैनिक हीलिंग, जेम्स एण्ड स्टोन थैरेपी और संगीत चिकित्सा का विश्लेषण किया।

समिति ने इनमें से किसी भी चिकित्सा की वैधता को नहीं मान्य किया केवल पहले से मान्य व्यवसायिक परम्परागत चिकित्सा पद्धतियों तथा (आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी और योग) की समिति ने निर्धारित आवश्यक तथा वांछनीय सिद्धान्तों की प्रगति से पूर्ण होने के कारण, मान्यता के लायक माना।

किसी भी तरह समिति ने संस्तुति पूर्वक कहा है कि निश्चित व्यवसाय एक्यूपंचर और हिप्लोथैरेपी जो चिकित्सा पद्धतियों के दर्जे लायक है, इनको पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी इन पद्धतियों का प्रशिक्षण लेकर उपयोग कर सकते हैं।

समिति ने आगे सुझाव दिया कि चिकित्सा की वे सभी पद्धतियां चलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती तथा भारत सरकार द्वारा मान्य पद्धति (एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, सिद्ध, नेचुरोपैथी, और योग) के चिकित्सक ही अपने नाम के साथ डाक्टर शब्द प्रयोग करेंगे जिन्हे चिकित्सा का माध्यम माना गया है उन्हें सर्टीफिकेट पाठ्यक्रम मानकर पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी के रूप में अपने अभ्यास में माध्यम के रूप में प्रयोग कर सकते हैं चाहे आधुनिक चिकित्सा पद्धति या भारतीय चिकित्सा पद्धति या होम्योपैथी।

समिति की विभिन्न संस्तुतियों को सावधानी पूर्वक परीक्षण करने के पश्चात सरकार ने समिति की इन संस्तुतियों को स्वीकार किया जिसमें यह निवेदन किया गया है कि राज्य/संघ शासित राज्य सरकार निर्णय के प्रसार के लिए विस्तृत विज्ञापन दे सकती है। वे यह भी निर्णय कर सकते हैं कि जिसकी मान्यता के लिये संस्तुति नहीं की गयी है। राज्य/संघ शासित राज्य सरकार के अधीन संस्थान कोई भी डिग्री/डिप्लोमा चिकित्सा शाखा में प्रदान नहीं करेंगे तथा मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धतियों (एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, नेचुरोपैथी और योगा) के चिकित्सा व्यवसायी ही अपने नाम के साथ डाक्टर शब्द का प्रयोग करेंगे।

यह सचिव (स्वास्थ्य) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की सहमति से जारी किया गया है।

संयुक्त सचिव
हस्ताक्षर अस्पष्ट
(भवानी त्यागराजन)

सेवा में,

1. स्वास्थ्य सचिव राज्य/संघ शासित राज्य
2. सचिव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
3. भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद, भारतीय नर्सिंग परिषद, भारतीय चिकित्सा परिषद, भारतीय फार्मसी परिषद, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद।
4. सचिव भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग
5. सी.सी.आई.एम., सी.सी.एच., सी.सी.आर.ए.एस., सी.सी.आर.वाई.एच., सी.सी.आर.यू.एम.

महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक:11फ/867-68

लखनऊ/दिनांक 8/03/2004

- 1- प्रतिलिपि प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार के उपरोक्त पत्र की प्रति समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को उपलब्ध करा दें तथा पंजीकृत/अधिकृत/प्रशिक्षित चिकित्सकों की जनपदवार सूचना व झोला छाप चिकित्सकों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही की प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह की 01 एवं 15 तारीख को महानिदेशालय के चिकित्सा अनुभाग-11 तथा शासन के चिकित्सा अनुभाग-6 में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उपरोक्त के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव द्वारा अपेक्षा की गयी है कि चिकित्सकों को छपे हुये निर्धारित प्रारूप पर पंजीकरण फार्म मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से भी निःशुल्क प्रदान किये जाये, आई0एम0ए0 व अन्य संगठनों से समस्याओं के समाधान हेतु समन्वय भी किया जाये। पंजीकरण कार्यवाही को समयावधि में पूर्ण किया जाये।

ह0 अमरेन्द्र सिंह
निदेशक, चिकित्सा उपचार

No. R. 14015/25/96-U&H(R) (Pt.)
Government of India
Ministry of Health & Family Welfare
(RESEARCH DESK)

Niman Bhavan, New Delhi

Dated the 25th November, 2003

ORDER

The matter regarding grant of recognition to the various streams of alternative medicine including elcctropathy/electrohomeopathy, has been under consideration of the Govt. In this process Govt. has considered the orders dated 18.11.98 of the Hoen'ble High Court of Delhi in CWP No. 4015/96 & OM No. 8468/97 which has inter-alia directed the Central/State Govts. to consider making legislation to grant of licenses to the existing and new institutes etc. to control & regulate the various 'unrecognised' streams of alternative medicines and also to give adequate publicity through media informing public about the 'Respondents' and similar other institutes for being recognized by the Govt. & affiliated with any of the Councils.

Government constituted a 'Standing Committee of Experts' under the Chairmanship of Director General, Indian Council of Medical Research and members were drawn from various fields of medicine to consider & give its recommendations to the Government. On the efficacy/merits of various streams of alternative medicine and also examine feasibility of making legislation as suggested by the Hon'ble Court.

The Comuinttee developed essential & desirable criteria for grant of recognition to a new stream of medicine and analysed the different streams of 'Alternative medicine viz. Ayurvada, Siddha Unani, Homeopathy, Yoga & Naturopathy, Electropathy Electrohomopathy, Acupuncture, magnctotherapy, Rciki, Reflexology, Urine Therapy/Autourine Therapy, Hypnotherapy, Allopaotherapy Colour Therapy, Pranic Healing, Gems & Stone Therapy and Music Therapy.

The Committee did not recommend recognition to any of the ealternative medicines except the already recognized traditional systems of medicines, viz, Ayurveda, Siddha. Unani, Homeopathy and Yoga & Naturopathy which were found to fulfill the essential & desirable criteria developed by the Committee for recognition of a system of medicine. The Committee has, however, recommended that certain practices as. Acupuncture and Hypnotherapy which qualified as modes of therapy, could

be allowed to be practised by registered practitioners or appropriately trained personnel. The Committee further suggested that all those Systems of Medicine not recognized as separate Systems should not be allowed to continue full time Bachelor and Master's Degree courses and the term "Doctor" should be used only by practitioner of Systems of Medicine recognized by the Government of India. Those considered as Mode of Therapy can be conducted as Certificate courses for registered medical practitioners to adopt these modes of therapy in their practice, whether modern medicine or Indian Systems of Medicine and Homoeopathy.

After carefully examining the various recommendations of the Committee, the Government accepted these recommendations of the Committee. Accordingly, It is requested that the State/UT Govt. may give wide publicity of the decision of the Govt. They may also ensure that institution under the State/U.T. do not grant any degree/diploma in the stream of medicine which have not been recommended for recognition and the term 'Doctor' is used by practitioners of recognized system of medicine.

This issues with the approval of Secretary (Health), Ministry of Health & FW..

sd.

(Bhavini Thyagarajan)

Joint Secretary

अवमाननावाद/तत्काल/समयबद्ध

महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक:11फ/867-68

लखनऊ/दिनांक 8/03/2004

1- प्रतिलिपि प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

2- समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार के उपरोक्त पत्र की प्रति समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को उपलब्ध करा दें तथा पंजीकृत/अधिकृत/प्रशिक्षित चिकित्सकों की जनपदवार सूचना व झोला छाप चिकित्सकों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही की प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह की 01 एवं 15 तारीख को महानिदेशालय के चिकित्सा अनुभाग-11 तथा शासन के चिकित्सा अनुभाग-6 में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उपरोक्त के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव द्वारा अपेक्षा की गयी है कि चिकित्सकों को छपे हुये निर्धारित प्रारूप पर पंजीकरण फार्म मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से भी निःशुल्क प्रदान किये जाये, आई0एम0ए0 व अन्य संगठनों से समस्याओं के समाधान हेतु समन्वय भी किया जाये। पंजीकरण कार्यवाही को समयावधि में पूर्ण किया जाये।

ह0 अमरेन्द्र सिंह

निदेशक, चिकित्सा उपचार

"Naturopathy" as a system of Medicine Recognition of
Government of Maharashtra

Urban Development and Public Health Department,
Mantralaya, Bombay - 32, Resolution No. NCR-1022/
6006/PH- 7 dated 1st Decembar 1977. Read -1)
Endorsement No. NTY/1076/B, dated 2nd Sept. 1976 for
the Director of Ayurved, Bombay. ii) Unofficial
Reference No. NTY/1076/80596/Ay-1 dated the 22nd
Aug. 1977 from the Director of Ayurved, Bombay.

Resolution : With a view to giving filling to the
indigenous system of Medicine, the question of giving
recognition to Naturopathy as a system of Medicine was
under consideration of Government for some time past
Accordingly Government of Maharashtra has now
decided to recognize Naturopathy as a system of
Medicine-2) **The Director of Ayurved** is requested to
take necessary follow up action and submit necessary
proposal for implementation of the above decision of
Government.

By order and in the name of the Governor of
Maharashtra

Sd/- Dr. N. H. Kulkerni
Deputy Secretary of Government.

मा० मुम्बई उच्च न्यायालय की खण्डपीठ औरंगाबाद का महत्वपूर्ण निर्णय
प्राकृतिक चिकित्सा (नेचुरोपैथी) के प्रैक्टिशनर कानूनन मान्य

आपराधिक याचिका संख्या 134 वर्ष 2002

दिलीप पुत्र श्री पुण्डलिक पाटिल उम्र 32, व्यवसाय—नेचुरोपैथी, भदगांव, जिला— जलगांव
बनाम

1. महाराष्ट्र सरकार
2. कलेक्टर, जलगांव,
3. सुपरिटेण्डेण्ड ऑफ पुलिस

संविधान के अनुच्छेद 14, 19 (I) (G) और 226 के सम्बन्ध में तथा महाराष्ट्र मेडिकल प्रैक्टिशनर एक्ट, 1961 के सम्बन्ध में।

यह प्रार्थना की जाती है कि

- (A) कानूनन जारी किया जाये।
(B) रिकार्ड एवं कार्यवाहियों को देखा जाये।
(C) प्रतिवादियों को निर्देश याचिका के जरिये यह निर्देश दिया जाये कि याची के इस दावे की पूर्ण रूप से जांच की जाये कि वह एक वैद्य नेचुरोपैथी का चिकित्सक है तथा जांच के निर्णय को याची को दो हफ्ते के भीतर अवगत करा दिया जाये।
(C-1) प्रतिवादी संख्या 2 के पत्र दिनांक 15.04.2002 द्वारा अपंजीकृत डॉक्टर्स रिब्यू कमेटी को खारिज कर दिया जाये।
(C-2) प्रतिवादियों को याची के नेचुरोपैथी में व्यवसाय करने के विरुद्ध कोई दण्डात्मक कार्यवाही करने से रोका जाये।
(C-3) इस याचिका के लम्बित रहने तक तथा अन्तिम सुनवाई तक प्रतिवादियों को याची के नेचुरोपैथी में व्यवसाय करने के विरुद्ध कोई दण्डात्मक कार्यवाही करने से रोका जाये।
(D) निर्देश याचिका द्वारा प्रतिवादियों को यह निर्देश दिया जाय कि निर्णय से याची को अवगत कराया जाय।
(E) इस याचिका के लम्बित रहने तक तथा अन्तिम सुनवाई तक प्रतिवादियों को याची के नेचुरोपैथी में व्यवसाय करने के विरुद्ध कोई दण्डात्मक कार्यवाही करने से रोका जाये।

निर्णय

याची के वकली श्री पी.आर. पाटिल तथा श्री सकपाल, ए.पी.पी. को सुना।

श्री सकपाल दिनांक 25.4.2002 के पत्र, को रिकार्ड में रखना चाहते हैं इस पत्र के अन्तिम पैराग्राफ में यह कहा गया है कि महाराष्ट्र मेडिकल प्रैक्टिशनर एक्ट, 1961 के सेक्शन 2 (2) (iii) दुबारा पंजीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है। याची ने यह स्पष्ट कहा है कि वह नेचुरोपैथी में चिकित्सा कर रहा है। जिसके लिए पंजीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है।

दिनांक 25.04.2002 के पत्र को दृष्टिगत रखते हुए यह क्रिमिनल याचिका खारिज होने योग्य है। दिनांक 29.12.02

बी.बी. बाग्यानी
डी.एस. जोतिंग
जज

अखिल भारतीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा परिषद (All India Yoga & Nature Cure Council, Delhi) द्वारा चिकित्साभ्यास में प्रयोग करने वाली वनौषधियों (दवाईयों) की सूची—

1. इसबगोल	35. एरण्ड	69. राई
2. हरड	36. पीपल	70. कालमेघ
3. बहेड़ा	37. चित्रक	71. नमक
4. आँवला	38. बावची	72. पुनर्नवा
5. अशोक	39. कोंच	73. शतपुष्पा
6. अर्जुन	40. पुष्करमूल	74. बेल
7. फिटकरी	41. गोखरू	75. कटेरी
8. हल्दी	42. जमालगोटा	76. हींग
9. सौंठ	43. रस्ना	77. काला नमक
10. अदरक	44. यूकेलिपटिस	78. रस सिंदूर
11. पोदीना	45. लाजवन्ती	79. जीरा
12. सफेद मूसली	46. लौंग	80. खादिर
13. जामुन	47. दाल चीनी	81. पित्तपापड़ा
14. गुड़मार बूटी	48. धनिया	82. चूना
15. तुलसी	49. मालकगनी	83. मेथी
16. गूलर	50. लौध पठानी	84. गुड़
17. ढाक	51. इमली	85. अजवायन
18. सरसों	52. अजमोद	86. अँगूर
19. अमरबेल	53. तुलसी	87. केशर
20. ब्रह्मी	54. मेंहदी	88. सतावर
21. कुलथी	55. भृंगराज	89. नाग केशर
22. बच	56. कुटकी	90. किशमिश
23. जटमासी	57. चिरायता	91. चना
24. सर्पगन्धा	58. लहसुन	92. गेंहू के जवारे
25. गुलाब	59. जायफल	93. जिन सैंग
26. गेदा	60. इलायची	84. खजूर
27. आक	61. गेरू	95. सेमल
28. असगन्ध	62. शहद	96. बिदारीकन्द
29. नीम	63. काकड़ा सिंगी	97. तिल का तेल
30. अमलताश	64. नीबू	98. सुरन्जान
31. शिलाजीत	65. सौंफ	99. बंशलोचन
32. भिलावा	66. काली मिर्च	100. घृतकुमारी
33. कमल	67. मिश्री	101. संखिया
34. गिलोय	68. छुहारा	102. तालमखाना
		103. अंकोल

नोट:— भावप्रकाश निघण्टू (मोतीलाल) की पुस्तक में सभी वनौषधियां नेचुरल हैं, वह सभी प्रयोग में लायी जा सकती हैं।